भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1179
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

अनौपचारिक श्रम का औपचारिकीकरण

1179. श्री विनसेंट एच॰ पालाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में अनौपचारिक श्रम की त्वरित औपचारिकता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इसके लिए किसी मौजूदा कानून के लिए कोई कानून/संशोधन प्रस्तावित किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) आईएलओ के इंडिया डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम 2018-22 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा इनसे रोजगार आधार में वृद्धि होने की सम्भावना है। सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजना आरंभ की गई हैं।

रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों को तीन साल की अवधि के लिए ईपीएफ और ईपीएस दोनों (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) के लिए नियोक्ता के पूर्ण योगदान, अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। यह योजना रु. 15,000 प्रति माह तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर, नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक भी पहुंच होगी। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ प्रदान किया गया है।

(घ): आईएलओ के त्रिपक्षीय घटकों के साथ इण्डिया डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम (डीडब्ल्यूसीपी) 2018-22 को तैयार करने के लिए 2017-18 के मध्य से गहन विचार-विमर्श किया गया था। डीडब्ल्यूसीपी 2018-22 की प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं:

(i) काम के अस्वीकार्य स्वरूपों से कामगारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा देना, अपनाना और लागू करना।

(ii) विशेषकर सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय वर्जनाओं में असुरक्षित तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं और युवाओं के लिए स्थायी, समावेशी एवं बेहतर रोजगार का सृजन करना।

(iii) श्रम प्रशासन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएचएस) तथा सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देकर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु त्रि-पक्षीय तंत्र बेहतर काम करते हैं।

इस कार्यक्रम को 20 नवंबर, 2018 को शुरू किया गया है और इसके कार्यान्वयन की निगरानी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जा रही है।

*****